बिहार सरकार
समाहरणालय नवादा
नवादा–805110
(खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय)

–: आदेश :–

मिशन निदेशक–सह–प्रधान सचिव, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, बिहार, पटना के पत्रांक 910 दिनांक 02.07.2018 से प्राप्त निदेशानुसार नवादा जिला में कार्यपालक सहायक के पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु पैनल निर्माण की प्रकाशित विज्ञप्ति के आलोक में दिनांक 10.01.2019 को प्रकाशित पैनल में से जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक 05/मु0/स्था0 दिनांक 11.01.2019 से उपलब्ध कराये गये निम्नांकित अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पर अधोलिखित शर्तों के अधीन कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजित किया जाता है–

क्रम सं0	Merit Sl No	Aplication ID No	नाम	पिता का नाम	पता	कोटि
1	2	3	4	5	6	7
1	132	EXA/237004611	मुकेश कुमार	अर्जुन पासवान	ग्राम–खरिजामा, पो0–समरीगढ़, प्रखण्ड–रोह	SC
2	57	EXA/237021619	राज कृष्णन	उदय शंकर सिंह	मो0–बजरंगपुरी, गुलजार बाग पटना सिटी	GEN

नियम व शर्ते :–

1. यह चयन प्रथम एक वर्ष के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
2. योगदान के समय निम्न हार्डवेयर अनिवार्य रूप से लाना होगा, जिसका उपयोग उन्हें नियोजन कार्यालय में करना पड़ेगा।

A	CPU	Intel Core i3
	Chipset	Intel
	Memory	4 GB (minimum)
	Hard disk	500 GB
	Monitor	14'- LED (or higher)
	Operating System	Windows 7 (or higher)
	Additional Software	Microsoft office 2010 Adobe PDF Reader Internet Security (Antivirus) of any Renowned company
	Browser	Google Chrome
	Additional Hardware	Optical Mouse Optical Keyboard
B	One Laser Printer	Black & White
C	One UPS	-
D	One Data Card for Internet	1Mbps (minimum)

3. योगदान के समय अपना सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं एक फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा।
4. नियोजित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के द्वारा अनुमान्य मानदेय दी जायेगी। कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी। इसमें लगनेवाली **Consumable items,** पेपर टोनर आदि की आपूर्ति पदस्थापन कार्यालय द्वारा की जायेगी। इन्टरनेट कनेक्शन का बिल नियोजित अभ्यर्थियों द्वारा देय होगा।
5. कार्य असंतोशजनक पाये जाने पर कार्य में सुधार करने हेतु एक सप्ताह का नोटिस दिया जायेगा। कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर नियोजन रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
6. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों को सरकार द्वारा निर्धारित आकस्मिक अवकाश देय होगा।
7. नियोजित अभ्यर्थियों का सरकारी सेवा में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। इस आशय का एकरारनामा नियोजन के समय प्रस्तुत करना होगा।
8. यदि संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व इनका अवधि विस्तार नहीं होता है, तो उनका नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा।
9. सभी चयनित अभ्यर्थी नवादा जिला के बेबसाईट पर नियोजन पत्र प्रकाषन के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर एकरारनामा के साथ जिला आपूर्ति कार्यालय, नवादा में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर उनका नियोजन पत्र रद्द समझा जायेगा।
10. सिविल सर्जन, नवादा के द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र योगदान के समय समर्पित करना होगा।

ह0/–
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
नवादा।

ज्ञापांक......[illegible]/ खाद्य,नवादा,दिनांक....12..../ ....01.../2019 ई0।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त आदेश पत्र नवादा जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
नवादा।